



SATYARTHI
KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

**MUKTI CARAVAN- BHARAT
JODO ABHIYAN**
A grassroots awareness campaign to end
child trafficking

मुक्ति कारवां बुलेटिन-01 अक्टूबर, 2018

साहिबगंज के लिए चुनौती हैं बाल श्रम और दुर्व्यापार

- झारखंड में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा बाल मजदूर
- बाल श्रम की चपेट में है साहिबगंज
- बरहेट और मंजिराबाड़ी में चलाया गया जन जागरूकता अभियान
- होटलों और गैराजों में काम करते हैं बच्चे

झारखंड में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा बाल मजदूर हैं। बाल श्रम समाज के लिए चुनौती है। इसे दूर करने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। समाज के ऐसे लोग जो अपने बच्चों को गरीबी की वजह से बाल श्रम में लगा देते हैं, उनके बच्चों को बाल श्रम से निकालने में गैर सरकारी संगठन मदद कर सकते हैं। इस काम में गैर सरकारी संगठन पुल का काम कर सकते हैं। उपरोक्त विचार मुक्ति कारवां के जन अभियान में आज वक्ताओं ने व्यक्त किए।

साहिबगंज जिले में बरहड़वा प्रखंड के मिर्जापुर और आसपास के इलाके के कई ईंट-भट्ठों में बच्चे काम कर रहे हैं। कई होटलों में बाल श्रमिकों से काम लिया जा रहा है। इस क्रम में मुक्ति कारवां जन जागरूकता अभियान चला कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। बाल

श्रम और बाल दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) के केंद्र के रूप में पहचान बना चुके बरहेट (जिला साहिबगंज) चौक पर मुक्ति कारवां द्वारा एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया और परचे बांटे गए। नुक्कड़ सभा को राज्य बाल श्रम आयोग की पूर्व अध्यक्ष शांति किन्डो, मुक्ति कारवां के वरीय सदस्य अर्जुन कुमार ने संबोधित किया और बच्चों को विद्यालय भेजने, उन्हें शिक्षित बनाने का संकल्प लोगों को दिलाया।

फातिमा उच्च विद्यालय, मंजिराबाड़ी (जिला दुमका) के सभाकक्ष में भी एक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्यालय की प्राध्यापक रोशनी टोप्पो ने स्वीकार किया कि बाल श्रम और दुर्व्यापार इस क्षेत्र के लिए चुनौती बनकर उभरे हैं। आदिवासी, संथाली लोगों में अशिक्षा व्याप्त है और इसका फायदा अन्य लोग उठाकर उनका शोषण करते हैं। मुक्ति कारवां के वरिष्ठ सदस्य अर्जुन कुमार ने 'बचपन बचाओ आंदोलन' (बीबीए) की पहल से हासिल हुई शिक्षा के अधिकार और बाल श्रम को रोकने के लिए निर्धारित कानूनों के बारे में बता कर लोगों को जागरूक किया। शांति किन्डो ने बच्चों से अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहने और सहायता के लिए पुलिस नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और बीबीए हेल्पलाइन नंबर के बारे में जानकारी दी। यहां बच्चों और उपस्थित शिक्षकों को बाल दुर्व्यापार के खात्मे के लिए शपथ दिलाई गई। मुक्ति कारवां के जन जागरुकता अभियान को पूरे विद्यालय परिवार ने सराहा और जन जागरुकता फैलाने के लिए धन्यवाद दिया।

मुक्ति कारवां

मुक्ति कारवां एक सचल दस्ता है जो गांव-गांव में घूमकर बाल दुर्व्यापार, बाल मजदूरी और यौन शोषण जैसी बुराइयों के खिलाफ जन जागरुकता फैलाने का काम करता है। इस दस्ते में करीब 10 से 15 नौजवान होते हैं। ये नौजवान नुक्कड़ नाटक, दीवार लेखन, जन जागरण की छोटी-छोटी बैठकों और सभाओं के जरिए बच्चों की खरीद-फरोख्त के कारोबार, बच्चों के यौन शोषण उसे रोकने के उपायों और कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। मुक्ति कारवां 1997 से शुरू होकर बाल

दुर्व्यापार वाले राज्यों में भ्रमण करते हुए अब तक 4लाख किलोमीटर की यात्रा पर लाखों लोगों को बाल दुर्व्यापार के खिलाफ जागरूक कर चुका है।